

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान/ केम्प कोर्ट) कैम्प पालड़ी सिद्धा
दिनांक : 12.11.2021

क्रमांक : राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/ 905

मू.नं. 658/21 -:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी खवासपुरा व मू.अ.नि. चौकडीकला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में खवासपुरा तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में ग्राम खवासपुरा के खाता संख्या 213,214 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


क. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खवासपुरा	213	171,216	नवीचन्द पुत्र देसुलाल	नवचंद पुत्र देसूलाल
2	खवासपुरा	214	185	नवीचन्द पुत्र देसुलाल	नवचंद पुत्र देसूलाल


(दू.द.प्र.म.)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर
दिनांक :- 12.11.2021

क्रमांक :-सम/2021/ 906-908.

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी खवासपुरा को सुचनार्थ।
3. प्रार्थी नवचंद पुत्र देसूलालजाति साद निवासी खवासपुरा को सुचनार्थ


(दू.द.प्र.म.)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर